

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2998
07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर की स्थिति

2998. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सोनीपत लोक सभा क्षेत्र से गुजरने वाले दिल्ली-पानीपत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण/ठहराव की स्थिति का समेकित आकलन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो इसकी लंबाई (लगभग 103 किमी), स्टेशनों की कुल संख्या (17) और अनुमानित लागत (21,627 करोड़ रुपये) के संदर्भ में परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या इस कॉरिडोर पर ट्रेनें अधिकतम 180 किमी/घंटा और औसत 100 किमी/घंटा की गति से चलेंगी और दिल्ली से पानीपत की यात्रा 60-90 मिनट में पूरी होने की संभावना है;
- (घ) क्या दिल्ली सरकार ने इस आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए अपना वित्तीय हिस्सा (50 करोड़ रुपये) जारी कर दिया है और क्या अब तक इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या परियोजना की पारदर्शिता, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और समय-सीमा की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र समीक्षा या तृतीय-पक्ष संपरीक्षा की गई है; और
- (च) यदि हाँ, तो इसके प्रमुख परिणाम क्या रहे और यदि नहीं, तो ऐसा आकलन कब तक प्रस्तावित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (च) : 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, कार्य शुरू करने और उसे विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-करनाल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आरआरटीएस कॉरिडोर की कार्यान्वयन एजेंसी है। ऐसे प्रस्ताव गहन लागत वाले होते हैं; इसलिए, केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर इनकी गहन जाँच की जाती है। इस तरह की व्यापक जांच के बाद, केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आरआरटीएस परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की डिज़ाइन गति और परिचालन गति क्षमता क्रमशः 180 किमी प्रति घंटा और 160 किमी प्रति घंटा है। इसकी औसत गति स्टेशनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, जो यात्रा के समय को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर की निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। स्वीकृत आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए, पारदर्शिता, भूमि अधिग्रहण की स्थिति और समय-सीमा की नियमित निगरानी के लिए, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और एसपीवी (विशेष प्रयोजन तंत्र) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की परिकल्पना की गई है। दिल्ली-पानीपत-करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर वर्तमान में भारत सरकार की स्वीकृत परियोजना नहीं है।
